कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक—

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), भागलपुर
जिला— भागलपुर

20 AUG 2018
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर के अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1112 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

— ह0 —

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14749 / 112 दिनांक— 17.7.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, भागलपुर

17/07/18

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

9145

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1112/17–18
प्रस्तावना
भाग–I

1	कार्यालय का नाम	कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर
2	मुख्य अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री सुधीर कुमार दास, शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
3	अधीक्षण अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री सुरेश कुमार तिवारी, शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
4	कार्यपालक अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री मनोज कुमार, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर
5.	लेखा की अवधि	अक्टूबर 2016 से सितम्बर 2017 तक
6.	लेखा परीक्षा की अवधि	दिनांक 16.10..2017 से 18.11..2017 तक
7.	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	प्रमण्डल के माह 10/2016 से माह 09/2017 तक के लेखाओं की नमूना जॉच की गयी। माह 03/2017, के लेखाओं की विस्तृत जॉच एवं माह 07/2017, के लेखाओं की अंकगणितीय जॉच की गयी। उक्त अवधि के लिए स्थापना से संबंधित अभिलेखों की भी जॉच की गयी।
8.	लेखा परीक्षा दल के सदस्यगण	श्री अमिताभ कुमार, व0ले0प0अ0 श्री श्यामजी, स0ले0प0अ0 श्री ब्रजेश कुमार राय, स0ले0प0अ0 श्री आशुतोष कुमार, व0ले0प0
9.	क्या कार्यपालक अभियन्ता के साथ विचार– विमर्श हुआ	हाँ

दावा अस्वीकरण प्रमाणपत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग–II

खण्ड–क

कंडिका –1 मुख्यमंत्री शहरी विकासयोजना के लिए आवंटित राशि बैंक द्वारा जमा न किया जाना (राशि रू. 4.01 करोड)

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 3, 32, 44 एवं 45(ख) के अनुसार राज्य के सरकारी खाते में मौजूद धनों को बैंक की अभिरक्षा (कस्टडी) में ही रखा जायगा। बैंक में जमा धन को बैक की पुस्तों में सरकार के निमित्त जमा एक सामान्य कोष माना जाएगा। बैंक में जमा सरकारी राशि की सुरक्षित अभिरक्षा (सेफ कस्टडी) के लिए बैंक जवाबदेह है। असम्यक विलंब किए बिना बैंक को सरकारी जमा धन का पूर्णः किया जायेगा और उन्हें सरकारी खाते में शामिल कर लिया जाएगा। कोषागार में जाँच के बाद, प्रस्तुत चालानों के विवरण की प्रविष्टि जारी चालान रजिस्टर (रजिस्टर ऑफ चालान्स दूसरे) में की जाती है। जब गैर–सरकारी व्यक्ति द्वारा राशि उसी स्थान पर स्थित बैंक में भुगतान की जाती हो। जहां सबंधित विभागीय पदाधिकारी हो, तो कोषागार में प्रस्तुत होने के पूर्व चालान सबंधित विभागीय पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित करना ऐसे विभागों के कार्यालय प्रधान (हेड ऑफ ऑफिस) का कर्तव्य होगा कि सरकारी राजस्व का कोई हानि न हो।

लेखापरीक्षा के दौरान रोकड़बही की प्रविष्टियों, जिलाधिकारी भागलपुर द्वारा प्राप्त योजना आवंटनों एवं बैंक से प्राप्त बैंक खाता के नमूना जॉच में पाया कि जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर को जिलाधिकारी भागलपुर द्वारा रू. 36.41 करोड मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के योजना के लिए प्राप्त हुआ था। जिसे, पूर्व में खोले गये वेतनादि खाते के अलावा अन्य चार खाते में रखा गया था।

जबकि, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र सं 4796 दिनांक 26.08.2011 के अनुसार (क्रम सं 4) विभिन्न योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन हेतु उन्हें जिस स्त्रोत से भी जो अन्य राशि प्राप्त होगी वह भी वेतनादि बैंक खाते में जमा की जायेगी।

कुल प्राप्त राशि रू. 36.41 करोड में, रू. 4.01 करोड बैंक में (खाता संख्या 10010100015889 बैंक ऑफ बडोदा भागलपुर) जमा नहीं पाया गया। बैंक द्वारा बताया गया कि राशि रू. 4.01 करोड सृजन महिला विकास सहयोग समिति भागलपुर के खाते में जमा थी। विवरण निम्न है–

(राशि रू. में)

क्रम संख्या	प्राप्ति का वर्ष	प्राप्ति का तिथि	प्राप्त राशि	प्राप्त राशि में जमा राशि			जमा में अंतर की राशि
				बैंक का नाम	खाता संख्या	कुल जमा राशि	
1	2015-16	03-02-2016	11008100	बैंक ऑफ बडोदा	10010100015889	0	12108778
2	2015-16	08-02-2016	1100678				
3	2015-16	30-03-2016	23257806		10010100015889	0	23257806
4	2016-17	03-08-2016	4751721		10010100015889	0	4751721
		योग	40118305				40118305

राशि बैंक खाता में जमा न होने के संबंध में पूछे जाने पर जिला शहरी विकास अभिकरण भागलपुर द्वारा बताया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक 370 अनु. दिनांक 12.08.2017 द्वारा बैंक ऑफ बडौदा भागलपुर के द्वारा वित्तीय अनियमितता, धोखधडी के लिए तिलकामांझी थाने में केस संख्या 517/17 दिनांक 13.08.2017 से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

किस नियम एवं परिस्थिति के अंतर्गत उपर्युक्त राशि सृजन महिला विकास समिति के खाते में जमा की गयी, के संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा से पृच्छा किये जाने पर बैंक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इससे बैंक की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है।

इस प्रकार बिहार कोषागार संहिता के नियम एवं राज्य सरकार के निर्देशों का पालन न करने से कार्यपालक अभियंता डूडा, भागलपुर द्वारा राज्य सरकार के रू. 4.01 करोड के धन की हानि को नहीं रोका जा सका।

इस राशि की वसूली हेतु बिहार वित्तीय नियम के अनुसार प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है।

कंडिका –2 एक बैंक से दूसरे बैंक में अंतरित राशि का जमा न होना (राशि रू. 9.88 करोड)

बिहार वित्तीय नियम 1950 के नियम 22 में दिये गये टिप्पणी के अनुसार–

256 प्रत्येक अधिकारी को, जो सरकारी धन राशि प्राप्त करने एवं संवितरण करने के लिए प्राधिकृत है, रोकड बही में लेखा रखना चाहिए जिसमें उसकी न केवल धन संबंधित लेन– देन ही दर्ज करनी चाहिए अपितु अनुच्छेद 260 के अधीन अनुमत्य सभी खाता अंतरण भी दर्ज करने चाहिए।

259 जो चेक अदायगी के लिए काटा जाए उसकी प्रविष्टि रोकड बही के दोनों पक्षों में साथ– साथ चेक सं और उसके विशिष्टियों के साथ, दोनों पक्षों, एक खजाने में प्राप्ति तथा दूसरा संबधित अदाता की अदायगी के रुप में दर्ज की जानी चाहिए।

260 इसी प्रकार सभी खाता अंतरण के मामले, अथार्त वे लेन–देन जिसमें न तो वस्तुतः धन की अदायगी है और न ही प्राप्ति–रोकड बही के दोनो पक्षों में साथ– साथ दर्ज किये जाने चाहिए।

265 रोकड बही का मासिक संवरण करके उसका शेष निकालना चाहिए। मास के अन्त में लेखे के शेष की जॉच वस्तुतः गिने गये एवं हस्तगत शेष से की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान रोकबही की प्रविष्टियों, चेक निर्गत पंजी एवं बैंक से प्राप्त बैंक खाता के नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर द्वारा कुल राशि रू. 260522801/– का अंतरण एक बैंक खाते से दुसरे बैंक खाते में की गयी थी। जिसमें से, मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना मद की, रू. 98845207/– की राशि बैंक में (खाता संख्या 10010100015889 बैंक ऑफ बडोदा भागलपुर) अंतरण के पश्चात् जमा नहीं पायी गयी।

पृच्छा के उपरांत, बैंक द्वारा बताया गया कि राशि रू. 98845207/– सृजन महिला विकास सहयोग समिति भागलपुर के खाते में जमा थी। किस परिस्थिति में राशि, सृजन महिला विकास सहयोग समिति भागलपुर के खाते में जमा हुई, के पृच्छा पर बैंक द्वारा उत्तर नहीं दिया गया। अंतरण का विवरण निम्न है–

क्रम सं	निकासी की तिथि	निकासी का वर्ष	निकासी का विवरण			अंतरण का विवरण		अंतरण की राशि की स्थिति	अभियुक्ति अंतरण के संबंध में	
			बैंक का नाम	खाता संख्या	निकासी की राशि	तिथि	बैंक का नाम	खाता संख्या	हॉ / नहीं	
1	16-05-2013	2013-14	OBC	12622011001064	455387	16-05-2013	OBC	12622011001033	हॉ	
2	10-02-2015	2014-15	BOB	10010100013070	70000000	10-02-2015	OBC	12622011001064	हॉ	रोकड बही में 07.02.2015 को दर्ज।
3	21-03-2015	2014-15	BOB	10010100013070	7500000	21-03-2015	OBC	12622011001064	हॉ	रोकड बही एवं चेक निर्गत पंजी में दर्ज नहीं। चेक संख्या 726684
4	06-11-2015	2015-16	OBC	12622011001064	75000000	06-11-2015	BOM	60227104777	हॉ	रोकड बही एवं चेक निर्गत पंजी में दर्ज नहीं। चेक संख्या 16546
5	14-01-2016	2015-16	BOB	10010100013070	2020350	16-01-2016	OBC	12622011001064	हॉ	खाता संख्या 10010100013070 बंद करने की की राशि । रोकड बही में दर्ज नहीं
6	02-02-2016	2015-16	BOM	60227104777	60000000		BOB	10010100015889	नहीं	रोकड बही में 27.01.2016 को दर्ज। चेक संख्या 009079
7	04-03-2016	2015-16	OBC	12622011001064	6701857	07-03-2016	BOB	10010100015889	हॉ	रोकड बही में दर्ज नहीं। सात डिमांड ड्राफट से छः रू. 999999/– की दर से एवं एक रू. 701863/– राशि का। डिमांड ड्राफट संख्या 574078–84
8	25-04-2016	2016-17	BOM	60227104777	38845207		BOB	10010100015889	नहीं	रोकड बही एवं चेक निर्गत पंजी में दर्ज नहीं।
	योग				260522801					

राशि अंतरण को रोकड बही एवं चेक निर्गत पंजी में दर्ज न करने की पृच्छा करने पर उत्तर दिया गया कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा इसे दर्ज नहीं किया गया था।
राशि का अंतरण बारंबार करने के कारण की पृच्छा में बताया गया कि जवाब संबंधित प्राधिकारी से पृच्छा के उपरांत प्रेषित किया जायेगा।
अंतरित राशि के बैंक खाते में जमा न होने का कारण एवं अंतरण के पश्चात राशि कहाँ जमा हुई, की पृच्छा में बताया गया कि इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 370 अनु. दिनांक 12.08.2017 द्वारा बैंक ऑफ बडौदा भागलपुर के द्वारा वित्तीय अनियमितता, धोखधडी के लिए तिलकामांझी थाने में केस संख्या 517/17 दिनांक 13.08.2017 से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
किस नियम एवं परिस्थिति के अंतर्गत उपर्यक्त राशि सृजन महिला विकास समिति के खाते में जमा की गयी, के संबंध में बैंक ऑफ बडौदा से पृच्छा किये जाने पर बैंक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इससे बैंक की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है।
इस प्रकार बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियम एवं राज्य सरकार के निर्देशों का पालन न करने से कार्यपालक अभियंता डूडा भागलपुर सरकारी धन की राशि ₹ 98845207 की हानि नहीं रोक सके।
इस राशि की वसूली हेतु बिहार वित्तीय नियम के अनुसार प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है।

कंडिका –3 धोखाधडी के कारण बिलंब से योजना की राशि बैंक द्वारा जमा किया जाना (रू. 19086967) तथा ब्याज मद में रू. 261378/– की हानि

बिहार वित्तीय नियम 1950 के नियम 22 में दिये गये टिप्पणी के अनुसार–
256 प्रत्येक अधिकारी को, जो सरकारी धन राशि प्राप्त करने एवं संवितरण करने के लिए प्राधिकृत है, रोकड बही में लेखा रखना चाहिए जिसमें उसकी न केवल धन सम्बन्धित लेनदेन ही दर्ज करनी चाहिए अपितु अनुच्छेद 260 के अधीन अनुमत्य सभी खाता अंतरण भी दर्ज करने चाहिए।
259 जो चेक अदायगी के लिए काटा जाए उसकी प्रविष्टी रोकड बही के दोनों पक्षों में साथ– साथ चेक सं और उसके विशिष्टियों के साथ, दोनों पक्षों, एक खजाने में प्राप्ति तथा दूसरा संबधित अदाता की अदायगी के रुप में दर्ज की जानी चाहिए।
260 इसी प्रकार सभी खाता अंतरण के मामले, अर्थात वे लेन– देन जिसमें न तो वस्तुतः धन की अदायगी है और न ही प्राप्ति–रोकड बही के दोनों पक्षों में साथ– साथ दर्ज किये जाने चाहिए।
265 रोकड बही का मासिक संवरण करके उसका शेष निकालना चाहिए। मास के अन्त में लेखे के शेष की जॉच वस्तुतः गिने गये एवं हस्तगत शेष से की जानी चाहिए।
लेखापरीक्षा के दौरान रोकबही की प्रविष्टियों, जिलाधिकारी भागलपुर द्वारा प्राप्त योजना आवंटनों एवं बैंक से प्राप्त बैंक खाता के नमूना जॉच में पाया गया कि मुख्यमंत्री शहरी विकासयोजना के लिए प्राप्त आवंटन की राशि बैंक आफ बडौडा खाता संख्या 10010100013070 में 49 से 347 दिन बिलंब से जमा पाया गया। जबकि, डुडा भागलपुर में पूर्व में रखे बैंक खाते की प्रतिलिपि के अनुसार संवंधित राशि शून्य से छः दिन बिलंब से जमा पाया गया। इससे ब्याज मद में 4 प्रतिशत की दर से कुल ₹ 261378/– की हानि हुई। विवरण निम्न है–

क्रम सं	रोकड बही की तिथि	योजना स्वीकृति एवं आवंटन की पत्र सं	चेक सं / तिथि	राशि	बैंक संव्यवहार की तिथि	बिलंब जमा (दिन में)	बिलंब जमा पर ब्याज 4 प्रतिशत की दर से	पूर्ववती बैंक संव्यवहार की तिथि
1	01.03.13	216 / 20.02.13	744074/ 27.02.13	9365000	23.04.13	55	56447	02.03.13
2	09.03.13	20 Pr/ 20.02.13	744075 / 05.03.13	4921000	23.04.13	49	26425	11.03.13
3	13.12.13	1461/ 30.11.13	124947/ 16.12.13	1094164	28.11.14	347	41608	16.12.13
4	23.12.13	1557 / 20.12.13	744081 / 26.12.13	3706803	28.11.14	337	136898	26.12.13
				19086967			261378	

बैंक से पृच्छा करने पर बताया गया कि राशि रू. 1.90 करोड सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाते में जमा होने के पश्चात् डुडा भागलपुर के खाते में जमा की गई थी।

किस नियम एवं परिस्थिति के अंतर्गत उपर्युक्त राशि सृजन महिला विकास समिति के खाते में जमा की गयी, के संबंध में बैंक ऑफ बडौदा से पृच्छा किये जाने पर बैंक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इससे बैंक की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है।

डुडा भागलपुर से पृच्छा करने पर बताया गया कि बिलंब जमा के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 370 अनु. दिनांक 12.08.2017 द्वारा बैंक ऑफ बडौदा भागलपुर के द्वारा वित्तीय अनियमितता, धोखधडी के लिए तिलकामांझी थाने में केस संख्या 517/17 दिनांक 13.08.2017 से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। ब्याज वसूली हेतु कार्रवाई नहीं की गयी है। जॉचोपरांत इस संबंध में कार्रवाई की जायेगी।
बिहार वित्तीय नियम के अनुरूप बैंक समाशोधन विवरणी तैयार नहीं किया जाना प्राधिकारी द्वारा बताया गया।
इस प्रकार बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियम तथा सरकारी निर्देशों का पालन कार्यपालक अभियंता द्वारा न किये जाने से डूडा भागलपुर में गबन एवं धोखाधडी के मामले हुए तथा रू. 261378 की हानि ब्याज मद में हुयी।
बिहार वित्तीय नियम के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है।

कंडिका –4 अनजाने स्त्रोत से राशि जमा किया जाना (रू. 102588000)

बिहार वित्तीय नियम 1950 के नियम 3 से 5 के अनुसार सभी व्यवहार जिनका एक पक्ष आधिकारिक हैसियत में कोई सरकारी पदाधिकारी हो, अविलम्ब लेखाबद्ध हो जाना चाहिए। सरकारी पावने के रुप में या सरकारी अभिरक्षा में जाता के लिए प्राप्त धन कोषागार नियमावली के अनुसार लोक लेखे मे आकलित होना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान रोकबही की प्रविष्टियों एवं बैंक से प्राप्त बैंक खाता के नमूना जॉच में पाया कि कुल राशि रू. 102588000/– दिनांक 28.03.2016 से 04.08.2017 के मध्य बैंक आफ बडौडा में संधारित खाते (10010100015889) में अनजान स्त्रोत से जमा पाये गये। यह राशि मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के रोकड़ बही में दर्ज नहीं थी। विवरण निम्न है–

अनजान स्त्रोत से ध्य बैंक आफ बडौडा खाता संख्या 10010100015889 में जमा की विवरणी			
क्रम सं	तिथि	बैंक खाते में जमा राशि के विरुद्ध दर्ज कथन	राशि (रू. में)
1	28.03.2016	By transfer	655000
2	29.03.2016	By transfer	1400000
3	30.03.2016	By transfer	5000000
4	22-04-2016	from 02/9232	500000
5	27-04-2016	By trf from 02/9232	5000000
6	07-05-2016	By trf from 01/14427 as per instruction	900000
7	09-05-2016	By transfer	5000000
8	02-06-2016	By transfer	500000
9	03-02-2016	By transfer	5000000
10	18-06-2016	from 01/14427	3500000
11	30-06-2016	from 02/9232	400000
12	18-08-2016	By transfer	500000
13	26-08-2016	Trans for Srijan Mahila	100000
14	29-08-2016	from 02/9232	10000
15	30-08-2016	By transfer	523000
16	30-08-2016	from 02/9232	500000
17	31-08-2016	By transfer	150000
18	03-09-2016	from 02/9232	20000
19	05-09-2016	By transfer	500000

20	08-09-2016	from 02/9232	340000
21	16-09-2016	by srijan mahila vikas	1000000
22	22-09-2016	from 02/9232	1000000
23	26-09-2016	By transfer	1000000
24	07-10-2016	from 02/9232	600000
25	07-10-2016	from 02/9232	100000
26	13-10-2016	by srijan mahila	1000000
27	28-10-2016	from 02/9232	2200000
28	29-10-2016	from 02/9232	1500000
29	18-11-2016	from a/c no. 02/9232	500000
30	24-11-2016	from 02/9232	5000000
31	03-12-2016	By transfer	1500000
32	07-12-2016	By transfer	2000000
33	07-12-2016	By transfer	1200000
34	09-12-2016	By transfer	1000000
35	15-12-2016	by trf from Manorama devi	1400000
36	17-12-2016	Trf to Srijan Mahila	1000000
37	23-12-2016	By transfer	1000000
38	28-12-2016	By transfer	1500000
39	16-01-2017	from 02/9232	1500000
40	19-01-2017	By transfer	2500000
41	25-01-2017	By transfer	5000000
42	10-02-2017	from 02/9232	1000000
43	17-02-2017	By transfer	500000
44	18-02-2017	from 02/9232	520000
45	22-02-2017	By transfer	1320000
46	23-02-2017	from 02/9232	500000
47	18-03-2017	By transfer	3750000
48	20-03-2017	By transfer	6000000
49	21-03-2017	By transfer	5000000
50	24-03-2017	By transfer	1000000
51	29-03-2017	By transfer	2000000
52	06-04-2017	By transfer	500000
53	10-04-2017	By transfer	1000000
54	23-05-2017	By transfer	500000
55	07-06-2017	By transfer	1000000
56	01-07-2017	By transfer	1000000
57	18-07-2017	By transfer	1000000
58	19-07-2017	Feb-32	2500000
59	20-07-2017	By transfer	2500000
60	20-07-2017	by trf from srijan mahila vikas s	2000000
61	04-08-2017	By transfer	5000000
			102588000

बैंक से पृच्छा करने पर बताया गया कि राशि सृजन महिला विकास सहयोग समिति भागलपुर द्वारा जमा किया गया था।

डुडा भागलपुर से जमा राशि के स्त्रोत, रोकड बही में प्रविष्टि न करने का कारण तथा जमा राशि पर किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, के बारे में पृच्छा करने पर बताया गया कि इस संबंध में थाने में कार्यालय के पत्र सं 370 (अनु0) दिनांक 12.08.2017 द्वारा बैंक ऑफ बडौदा भागलपुर के विरूद्ध केस सं 517/17 दिनांक 13.08.2017 से धोखाधडी एवं गबन की प्राथमिकि दर्ज करायी गयी है।

इस प्रकार बिहार वित्तीय नियमों की अवहेलना कर सृजन महिला विकास सहयोग समिति भागलपुर द्वारा लोक लेखे में अनियमित रूप से धन जमा कर अपने द्वारा किये जा रहे गबन के मामले को छिपाया जा रहा था।

कार्यपालक अभियंता द्वारा बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियम तथा सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के कारण गबन छिपाने की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सका।

भाग–II

खण्ड–ख

कंडिका –5 एक से अधिक बैंक खातों का अनियमित परिचालन

वित्त विभाग संकल्प सं एम–4–12/2013 (भाग 1) 6478 दिनांक 21.07.2014 के द्वारा बिहार कोषागार संहिता 2011 में संशोधन के उपरांत बने बिहार कोषागार संहिता 2014 के अनुसार –

बिहार कोषागार संहिता के नियम –३४६ का विद्यमान प्रावधान नियम–३४६ के उप नियम–(1) के रूप में संख्यापित किया जाऐगा और तत्पश्चात निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाएगा :–

(2) "राज्य सरकार द्वारा गठित Special purpose Vehicles] Non profitable Organisation, बोर्ड, प्राधिकार, एजेंसी, एवं सोसाइटी आदि का, जो राज्य सरकार से किसी रूप में (यथा अनुदान, ऋण सेंटेज पर कार्य करने आदि) धन प्राप्त करती है, व्यक्तिगत लेखा खता (पी० एल० खाता) कोषागार में खोला जाएगा। इस तरह का व्यक्तिगत लेखा खता (पी० एल० खाता) नियम –३४६ (क) के अधीन स्थानीय निकायों के खाता से भिन्न होंगे।

(2) (ii) व्यक्तिगत लेखा खाता (पी० एल० खाता) का संचालन संस्थान के प्राधिकृत पदाधिकारी (जमा प्रशासन) द्वारा गैर सरकारी चेक के माध्यम से किया जायेगा जो महालेखाकार (अंकेक्षण) द्वारा कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा

(2) (iii) राज्य सरकार द्वारा special purpose vehicle non, profitable organisation, बोर्ड प्राधिकार, एजेंसी, एवं सोसाइटी अदि को चेक/ ड्राफ्ट खाता बही अंतरण द्वार उनके व्यक्तिगत लेखा खता (पी० एल० खाता) में धन उप्लब्ध करायी जायगी। राज्य सरकार बाजार से सेंटेज पैर कार्य करने हेतु प्राप्त होने वाली राशि को व्यक्तिगत लेखा खता (पी० एल० खाता) में रखने से छुट दे सकती है। राज्य सरकार, इन संस्थानों की मौद्रिक तरलता बनाये रखने हेतु व्यक्तिगत लेखा खता (पी० एल० खाता) में, जमा राशि में से किस्तों में राशि की निकासी कर, राशि को बैंक खता में रखने का आदेश दे सकेगी।

पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र सं 4796 दिनांक 26.08.2011 के अनुसार (क्रम सं 4) कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा वेतनादि के भूगतान हेतु कोर बैंकिग सुविधा से युक्त सरकारी कोर बैंकिग शाखा में एक एकाउन्ट खोलेंगे, जिसमें राशि जमा होगी तथा जिसके माध्यम से वेतनादि का भूगतान किया जायेगा और विभिन्न योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन हेतु उन्हें जिस स्त्रोत से भी जो अन्य राशि प्राप्त होगी वह भी इस बैंक खाते में जमा की जायेगी।

परंतु, कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर द्वारा वेतनादि के भुगतान के अलावा अन्य पाचॅ बैंक खाते का परिचालन विभिन्न बैंकों में किया गया। विवरण निम्न हैं–

कम सं	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक खाता खोलने की तिथि	बैंक खाता की स्थिति	अभियुक्ति
1	आरियंटल बैंक ऑफ कार्मस	12622011001033	28.07.2011	कार्यरत	वेतनादि
2	आरियंटल बैंक ऑफ कार्मस	12622011001064	09.09.2011	कार्यरत	मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना
3	बैंक ऑफ बडौदा	10010100013070	24.08.2012	बंद (14.01.2016)	
4	बैंक ऑफ बडौदा	10010100015889	30.01.2016	कार्यरत	
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	60227104777	31.08.2015	कार्यरत	
6	बैंक ऑफ बडौदा	10010100012756	21.12.2011	कार्यरत	स्पर संपोषित योजना

पी एल खाता नहीं खोलने की पृच्छा किये जाने पर बताया गया कि कोषागार में पी एल खाता नहीं खोला गया था। एक से अधिक बैंक खाते के परिचालन के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा तत्समय परिस्थिति के अनुसार योजना कियान्वयन में सुविधा के लिए खाता खोला गया था।

बिहार कोषागार संहिता के नियम एवं सरकार के निर्देशों की अवहेलना से जिला शहरी विकास अभिकरण में गबन, हानि के मामले हुए। जिनसे संबंधित विवरण अन्य कंडिकाओं में दी गयी है।

प्राधिकारी से अपेक्षा है कि कोषागार एवं बैंक खाता खोलना एवं प्रचालन नियमानुसार किया जाय।

कंडिका– 6 एम टी एन घोष लेन में जुम्मन के घर से छोटेलाल के घर तक नाला निर्माण की समीक्षा

एकरारनामा सं0 एवं वर्ष – 16एफ2/2016–17
एकरारनामा की तिथि –29.09.16
एकरारित राशि – रू 4698257
एजेन्सी का नाम –अविनाश कुमार दिनकर
कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि –31.08.16/30.12.16
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि–15.03.2017
अद्यतन भुगतान – रू 4685248 (मापी पु0 सं0 9/2016, पृ0 22)

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच के क्रम में निम्न आपत्तियां पाई गई–

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 0.42 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त कार्य से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि कार्य परिमाण विपत्र मे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं कराया गया था जिसके कारण कराये कार्य का अधोमानक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवरण निम्न प्रकार है :–

कम सं0	आयटम का नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	Providing and laying in position cement concrete of specified grade (1:2:4)	11.89m3	11.21m3	0.68m3	466750/m3	31739.9
2	Reinfocement for RCC work 10mm	30.190mt	30.04mt	0.15mt	65552.27/m3	9832.84
				TOTAL		41572.74

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना रू 4.63 लाख

एफ–2 एकरारनामा के क्लॉउज –2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलम्ब होने के उपरान्त प्रतिदिन की विलम्ब के लिए 0.5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से एकरारित राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किया जाना है।

कार्यालय कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर के उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया गया था, फिर भी प्रमण्डल द्वारा संवेदक के विपत्र से मात्र 7500 रूपये, Time Extention के रूप में काटा गया था। प्रावधानानुसार 10 प्रतिशत की दर से 469825 रूपये (10% of 4698257), क्षतिपूर्ति राशि के रूप में संवेदक के विपत्र से कटौती किया जाना था जो नहीं किया गया। इस प्रकार 462325 रूपये (469825–7500) क्षतिपूर्ति राशिके रूप में कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया।

(3) अग्रधन की राशि प्राप्त किये बिना निविदा का निष्पादन किया गया

निविदा के शर्तों के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 प्रतिशत के दर से अग्रधन की राशि निविदा के समय लिया जाना था, परन्तु नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि अग्रधन की राशि लिए बिना ही एकरारनामा कर दिया गया जा कि निविदा प्रकिया का उल्लंघन है।

जवाब में बताया गया कि (1) वर्णित कार्य के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 05.05.16 द्वारा तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया था, जबकि कार्यादेश की तिथि 29.08.16 है। उपर्युक्त परिस्थिति में कार्यस्थल पर अन्य विभाग द्वारा भी कार्य करा लिया गया है, जिसके कारण वास्तविक कार्य एकरारनामा की मात्रा से भिन्न है। कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है। कार्यस्थल पर कार्य के दौरान स्थल अतिक्रमित रहने के कारण कार्य में अवरोध हुआ। संवेदक द्वारा कार्य में विलम्ब के कारण समय वृद्धि हेतु आवेदन समर्पित की गयी है जिसका आवेदन मान्य है, जिसकी पुष्टि सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा भी की गयी है। समय वृद्धि हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा की जा रही है।

(2) वर्णित कार्य का संवेदक द्वारा वांछित अग्रधन की राशि निविदा के समय जमा की जाती है। कार्यादेश दिनांक 29.08.16 को दिया गया है। संवेदक द्वारा वांछित अग्रधन की राशि एवं अतिरिक्त परफॉर्मेन्स गारंटी दिनांक 25.09.16 को सत्यापन के पश्चात ही एकरारनामा की गयी है। किसी तरह का भुगतान एकरारनामा के पश्चात ही किया गया है।

(3) वर्णित कार्य का कार्यहित में कार्यादेश संवेदक को निविदा में सफल होने के पश्चात दिनांक 29.08.16 को निर्गत किया गया। संवेदक द्वारा प्राप्त वांछित अग्रधन की राशि को डाकघर द्वारा सत्यापन के पश्चात ही नियमानुसार एकरारनामा किया गया है। किसी तरह का भुगतान एकरारनामा की तिथि के पश्चात ही किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं कराया गया तथा विलम्ब दण्ड शुल्क की कटौती नियमानुसार नहीं की गयी है।

कंडिका– 7 टैंक लेन में लाल वकील के घर से सदन पासवान के घर तक सड़क एवं नाला का निर्माण की समीक्षा

एकरारनामा सं0 एवं वर्ष –15एफ2/2016–17
एकरारनामा की तिथि – 29.09.16
एकरारित राशि -- रू 3023567
एजेन्सी का नाम –ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि – 31.08.16/30.12.16
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि–29.12.16
अद्यतन भुगतान – रू 2557517 (मापी पु0 सं0 13/2016, पृ024)

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच के क्रम में निम्न आपत्तियां पाई गई–

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 3.38 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

कार्य से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि कार्य परिमाण विपत्र मे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं कराया गया था जिसके कारण कराये कार्य का अधोमानक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवरण निम्न प्रकार है –

क्रम सं0	आयटम का नाम	बी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	Excavation work in excavation lift up to 1.5 m	209.49	199.07	10.42	205.20	2138.18
2	Supplying and filling in plinth with local sand	218.92	54.73	164.19	386.86	63518
4	Providing designation 100A brick flat soling	524.6	427.33	97.27	268.46	26113
5	Reinforcement for Rcc 10 mm. dia	14.655	11.62	3.035	65552.27	198951
6	Providing and laying in position specified grade(1:1.5:3)	158.41	125.13	33.28	5277.78	175.44
7	Centering and shuttering including strutting propping	1221.06	947.3	273.76	166.7	45635
8	Demolishing cement concrete including 50 metre lead	4.52	4.51	.1	4667.5	46.67
9	Removal of unserviceable soil including excavation up to 1000 meters	214.01	207.27	6.74	83.52	562
10	Construction of dry lean cement concrete sub-grade to IS:383	7.47	7.32	.42	2965.73	1245
						338417.09

(2) अग्रधन की राशि प्राप्त किये बिना निविदा का निष्पादन किया जाना

निविदा की शर्तों के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 प्रतिशत के दर से अग्रधन की राशि निविदा के समय लिया जाना था, परन्तु नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि अग्रधन की राशि लिए बिना ही एकरारनामा कर दिया गया जो कि निविदा प्रकिया का उल्लंधन है।

जवाब में बताया गया कि वर्णित कार्य का प्राक्कलन एकरारनामा से बहुत पहले तैयार की गई थी। कार्यादेश के पहले अन्य विभाग द्वारा भी कार्यस्थल पर कार्य करा लिया गया है जिसके कारण कार्य की

मात्रा वास्तविक एकरारनामा से भिन्न है। कार्य का भुगतान कार्यस्थल के वास्तविक मापी के अनुसार ही किया गया है एवं कार्य विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है। विषयांकित कार्य के लिये संवेदक द्वारा वांछित अग्रधन एवं अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी की जॉचोपरांत नियमानुसार एकरारनामा किया गया है। तत्पश्चात ही अग्रधन का डाकघर से सत्यापन के उपरांत एकरारनामा की गई है। किसी तरह का भुगतान संवेदक को एकरारनामा के उपरांत ही की गयी है। कार्य की मात्रा के अनुसार रॉयल्टी की कटौती नियमानुसार पेनाल्टी के साथ किया गया है। वर्णित कार्य का कार्यादेश दिनांक 29.08.16 को दिया गया है। संवेदक द्वारा वांछित अग्रधन को डाकघर से सत्यापन के पश्चात नियमानुसार एकरारनामा किया गया है। संवेदक द्वारा निविदा के शर्त के अनुसार वांछित अग्रधन प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यादेश निर्गत किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं कराया गया तथा अग्रधन की राशि निर्धारित 2 प्रतिशत की दर से नहीं ली गयी है।

कंडिका– 8 असलम के धर से डॉ मौजम के क्लिनिक तक पी.सी.सी. सडक एवं नाला का निर्माण की समीक्षा

एकरारनामा सं0 एवं वर्ष –23 एफ2/2016–17
एकरारनामा की तिथि – 29.09.16
एकरारित राशि – रू 1575525
एजेन्सी का नाम –बबिता घोष
कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि –30.08.16/29.11.16
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि–27.11.16
अद्यतन भुगतान – रू 1437881 (मापी पु0 सं0 10/2016, पृ0 18)

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच के क्रम में निम्न आपत्तियां पाई गई–

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 1.53 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

कार्य से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि कार्य परिमाण विपत्र मे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं कराया गया था जिसके कारण कराये कार्य का अधोमानक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम सं0	आयटम का नाम	डी. ओ. क्यू के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	धनराशि
1	Reinforcement for RCC work (10mm.dia)	10.359	9.225	1.134	65552.27	74336
2	Providing and laying specified grade,all works up to plinth level (1:1.5:3)	129.49	118.41	11.08	5313.12	58869
3	Centering and shuttering including stutting propping etc.	1300.24	1183.87	116.37	166.7	19398
Total Rs						152603

जवाब में बताया गया कि वर्णित कार्य का कार्यान्वयन स्थल की उपलब्धता एवं अभियंता के दिये गये निर्देश के आलोक में कराया जाता है। इस कार्य का प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के द्वारा दिनांक 05.05.16 को दी गयी है। तीन महीना बीत जाने के उपरांत दिनांक 29.08.16

को कार्यादेश निर्गत की गयी है। जिसमे कार्यस्थल के नजदीक अन्य विभाग द्वारा भी सडक एवं नाला का निर्माण करा लिये जाने के कारण निर्धारित कार्य के मात्रा में अन्तर पाया गया है एवं वास्तविक कार्य का भुगतान कराये गये कार्य की मात्रा के अनुसार ही की गयी है। कार्य की मात्रा के अनुसार रॉयल्टी कटौती पेनाल्टी के साथ नियमानुसार की गयी है। कार्यहित में संवेदक को निविदा में सफल होने के पश्चात दिनांक 29.08.16 को कार्यादेश निर्गत किया गया है। संवेदक द्वारा प्राप्त वांछित अग्रधन एवं अतिरिक्त परफॉर्मेन्स गारंटी की राशि को डाकघर के सत्यापन के पश्चात ही दिनांक 29.09.16 को एकरारनामा किया गया है। किसी भी तरह का भुगतान एकरारनामा की तिथि के पश्चात ही किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं कराया गया।,

कंडिका– 9 विक्रमशिला विहार (गांगुली पार्क) में भवन के उपर नागरिक सुविधा हेतु एक रूम का निर्माण एवं पार्क के अन्दर टूटे फूटे पथ की मरम्मति, लाइट, शौचालय, जलाशय, बच्चों के खेलने हेतु अन्य सुविधा

एकरारनामा सं0 एवं वर्ष –14एफ2/2016–17
एकरारनामा की तिथि – 29.09.16
एकरारित राशि – रू 2432633
एजेन्सी का नाम –अवधेश कुमार यादव
कार्यारभ/समाप्ति की तिथि –31.08.16/30.12.16
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि–15.03.17
अद्यतन भुगतान – रू 2424083 (मापी पु0 सं0 72/2016, पृ089)
उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच के क्रम में निम्न आपत्तियां पाई गई–

(1) स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना राशि रू 0.92 लाख अर्थात् अधोमानक कार्य

उक्त कार्य से संबंधित परिमाण विपत्र एवं मापी पुस्त के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि कार्य परिमाण विपत्र मे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं कराया गया था जिसके कारण कराये कार्य का अधोमानक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। (परिशिष्ट– । पर संलग्न है)

(2) संवेदक को अदेय सहायता दिया जाना रू 0.71 लाख

एफ–2 एकरारनामा के क्लॉउज –2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलम्ब होने के उपरान्त प्रतिदिन की विलम्ब के लिए 0.5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से एकरारित राशि पर क्षतिपूर्ति राशि की कटौति किया जाना है।

कार्यालय कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर के उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया गया था तथा फिर भी प्रमण्डल द्वारा संवेदक के विपत्र से Time Extention के रूप में काटा नही गया था। जबकि प्रावधानानुसार 10 प्रतिशत की दर से 243385 रूपये, (2433850*10%) क्षतिपूर्ति राशि के रूप में संवेदक के विपत्र से कटौती किया जाना था जो नहीं किया गया। इस प्रकार रू. 243385 संवेदक को अदेय सहायता दिया गया।

जवाब में कहा गया कि वर्णित कार्य कार्यान्वयन स्थल के उपलब्धता एवं समय समय पर संवेदक को दिये गये निर्देश के आलोक में विशिष्टयों के अनुरूप कराया गया है। इसे कार्य के लिये कुल

एकरारनामा की राशि रू 2432633 के विरूद्व कराये गये कार्य की मात्रा के अनुसार कुल रू 2412083 का भुगतान किया गया ह। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 29.11.2016 है जबकि मापीपुस्तिका के अनुसार कार्य समाप्ति की अंतिम तिथि 25.11.16 अंकित है तदानुसर विपत्र से विलम्ब दण्ड शुल्क नहीं काटा गया। विषयांकित कार्य का कार्यादेश कार्यहित में दिनांक 29.08.2016 को दिया गया है। निविदा में सफल होने के पश्चात वांछित अग्रधन एवं अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी राशि को संबंधित डाकघर से सत्यापन के पश्चात ही नियमानुसार एकरारनामा की गयी है।

जवाब पूर्ण नहीं है। लेखा परीक्षा को यह नहीं बताया गया है कि किन कारणों एवं नियमों के अंतर्गत एकरारनामा के पूर्व ही कार्य प्रारंभ कराया गया है एवं कार्य का प्राक्कलन बनाते समय निर्धारित नियमों के तहत निर्धारित डिजाइन के अनुसार कार्य न कराकर अपने ही प्राक्कलन को गलत साबित किया गया है।

कंडिका– 10 योजना का नाम– डॉ आई.डी. सिंह के घर से वार्ड संख्या 26 में ज्ञान ज्योति स्कूल तक पी.सी.सी. सडक एवं नाला निर्माण

प्राक्कलित राशि– रु 1628238.00
निविदा की राशि– रु 1465414.00 (10 प्रतिशत कम दर पर)
संवेदक -- श्री रविशेखर कुमार
भुगतान – रु 1309048.00, मापीपुस्त सं. 1842/16–17, पृष्ठ संख्या 10,22
एकरारनामा तिथि– 28.09.16
कार्यारंभ तिथि– 31.08.16
कार्य समाप्ति तिथि– 30.11.16

(क) अनियमित कार्य पर भुगतान–रु 13.01 लाख

F-2 clause 10 के अनुसार "The contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and workmanlike manner and both as regards materials and otherwise in every respect in strict accordance with the specification. The contractor shall also confirm exactly, fully and faithfully to designs, drawings and instructions in writing relating to the work signed by the Engineer in charge."

जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा उपर्युक्त कार्य से संबंधित उपलब्ध कराये गये अभिलेख यथा मापी पुस्त, एकरारनामा आदि की जॉच करते समय पाया गया कि प्राक्कलन एवं एकरारनामा के अनुसार निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया है। विवरणी निम्नवत है–

Sl no	Item of work	Specification as per Estimates/qty	Work as per MB/qty		Exp.(below 10%)
For PCC Road-			1st RA Bill	2nd RA bill	
1	Excavation Work….	175x7.5x0.75 Qty- 27.88 cub M	100'x4'10''x9'' 100'x3.35''x9'' 50'x3.95''x9'' 50'x3'11''x9'' Qty-25.41 cub M		4693
2	Supplying and filling local sand..	75x10x2 175x7.5x0.25 200x7.5x1 Qty-94.25 cub M	50'x4'10''x9'' 50'x3'5''x1' 50'x3'9''x1' 150'x4'x1' 111'x4'x3'' 50'x3'4''x1' 50'x3'5''x1' 50'x3'10''x3'' 50'x4'8''x3'' 11'x4'8''x3'' Qty-49.74 cub M	61'x8'x2'' 27'x7'3''x3'' 20'x3'6''x3'' 9'x2'x3'' Qty-29.64 cub M	27638
3	Providing 100A brick flat soling joint filled in local sand	75x10 375x7.5 Qty-331.09 sq M	-do- Qty-229.26 sq M	-do- Qty-71.72 sq M	72721
4	Providing and laying cement…	75x10x0.5 375x7.5x0.5 Qty-50.45 cub M	-do- Qty-34.25 cub m	-do- Qty-22.13 cub m	260706
5	Centering and shuttering..	4x75x0.5 4x375x0.5 Qty-83.64 cub M	2x2x3'11'x6' Qty-57.80 cub M	2x236'x6'' Qty-21.93 cub M	11933
RCC Drain					
1	Demolishing..	Qty-5.57 cub M	Qty-1.26 cub M	Qty-5.13cubM	2939
2	Excavation..	Qty-142.52cubM	Qty-130.41 cub M	Qty-33.23 cub M	26527
3	Local sand fill..	Qty-12.04 cub M	Qty-8.67cub M	Qty-3.66cub M	4293
4	Brick flat….	Qty-169.69 sq M	Qty-123.31sqM	Qty-48.06sqM	41405
5	Cement con…	Qty-78.78 cub M	Qty-52.45cub M	Qty-26.33 cub M	374205
6	Reinforcement..	Qty-7.091MT	Qty-4.006MT	Qty-2.213 MT	366902
7	Centering..	Qty-672 sq M	Qty-448.49sq M	Qty-199.74sq M	97254
8	Removal of…	Qty-148.09 cub M	Qty-111.67cub M	Qty-38.36 cub M	10277
			Total		1301493

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा निर्धारित विशिष्टियों, डिजाइन आदि से परे भिन्न विशिष्टियों की पी सी सी सडक एवं नाला का निर्माण कराये जाने के बावजूद उक्त निर्माण कार्य से सबंधित उपर्युक्त मदों पर रु 1301493.00 का भुगतान कर दिया गया जो अनियमित था।

जवाब में बताया गया कि वर्णित कार्य का प्राक्कलन एकरारनाम से बहुत पहले तैयार की गयी थी। कार्य अन्य विभाग द्वारा भी कार्यस्थल के नजदीक कार्य करा लिया गया है जिसके कारण वास्तविक एकरारनामा से भिन्न है। कार्य का कार्यान्वयन विशिष्टि एवं मानक के अनुरूप कराया गया है। कार्य का भुगतान कार्यास्थल के वास्तविक मापी के अनुसार किया गया है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इस परिस्थिति में कार्य गलत प्राक्कलन के आधार पर कराया गया है।

(ख) अनियमित भुगतान–रु 1.69 लाख

बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार कार्यों में व्यवहारित खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र "एम" एवं "एन" तथा चालान संवेदक को कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियंता उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित जिला खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात ही संवेदक को सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है।

पाया गया कि उक्त कार्य में "एम" एवं "एन" प्रपत्रों का सत्यापन किये/कराये बिना ही संवेदक को ढुलाई मद का भुगतान कर दिया गया है, जो अनियमित है। विवरणी निम्नवत है–

सामग्री	मात्रा	दर	राशि(रु)
ईट	15283	555.09प्रति हजार	8483.00
सोन बालू	157.66 घनमी	386.66	60961.00
स्टोन चिप्स	116.39 घनमी	895.70	104251.00
सीमेन्ट	54.52 एमटी	257.55	14042.00
		कुल	187737.00
		10 प्रतिशत कम दर	16896300

जवाब में बताया गया कि कार्य के मात्रा के अनुसार रायॅल्टी की कटौती नियमानुसार पेनाल्टी के साथ किया गया है।

जवाब सही नहीं है क्योंकि उक्त वर्णित नियमों का उल्लंघन करते हुए संवेदक को भुगतान किया गया है।

(ग) कार्य प्रारंभ करने में अनियमितता

कार्य से संबंधित संचिका की जॉच करते समय पाया गया कि तकनीकी एवं वित्तीय रूप से सफल पॉच निविदादाताओं में से चार को ही लाटरी हेतु सूचित किया गया था तथा कार्य से संबंधित अग्रधन की जॉच एवं संवेदक के साथ एकरारनामा करने से पूर्व ही कार्य प्रारंभ करने का आदेश निर्गत कर दिया गया था।

जवाब में बताया गया कि तकनीकी रूप से सभी सफल संवेदको को लाटरी के समय ही दूरभाष एवं पत्र द्वारा सूचित कर दिया जाता है। लॉटरी के समय सभी संवेदकों को लॉटरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर करा लिया जाता है जिसका सत्यापन लॉटरी रजिस्टर से किया जा सकता है। अगर किसी कारणवश कोई संवेदक नहीं आतें हैं तो अन्य सफल संवेदकों की उपस्थिति में ही लॉटरी की जाती है जिसमें किसी भी संवेदक द्वारा लॉटरी की प्रकिया के अनियमितता के लिये आपति नहीं की गयी है।

जवाब अपूर्ण है। आपति के आलोक में पूर्ण जवाब साक्ष्य के साथ महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करायें।

कंडिका– 11 योजना का नाम – बाढगाछ चौक से खिरनी घाट तक नाला निर्माण

प्राक्कलित राशि– रु 3247355.00

निविदा की राशि– रु 2922619.00 (10 प्रतिशत कम दर पर)

संवेदक – श्री मितेश कुमार झा

भुगतान – रु 2823300.00, मापीपुस्त सं. 188/16–17, पृष्ठ संख्या 9,18,21

एकरारनामा तिथि– 15.09.16

कार्यारंभ तिथि– 31.08.16

कार्य समाप्ति तिथि– 30.12.16

एकरारनामा संख्या– 05 एफ2/16–17